भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-439
उत्तर देने की तारीख-23.03.2026

छात्रों हेतु सक्रिय शैक्षिक ऋण में गिरावट

†*439. **श्री कीर्ति आज़ाद:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दस वर्षों के दौरान छात्रों हेतु सक्रिय शैक्षिक ऋणों की संख्या कितनी है और ऐसे ऋणों की कुल बकाया धनराशि कितनी है;
(ख) क्या वर्ष 2014 से 2025 की अवधि के दौरान छात्रों हेतु सक्रिय शैक्षिक ऋणों में कमी आई है तथा बकाया ऋण की समग्र राशि में वृद्धि हुई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;
(ग) उच्च ब्याज दर, संपार्श्विक संबंधी शर्तों, भेदभावपूर्ण बैंकिंग पद्धतियों आदि बाधाओं के साथ-साथ अन्य प्रमुख बाधाओं का ब्यौरा क्या है जिनके कारण गरीब छात्र शिक्षा ऋण प्राप्त नहीं कर पाते और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) प्रधान मंत्री विद्यालक्ष्मी योजना के प्रारंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत स्वीकृत और संवितरित धनराशि का माह-वार ब्यौरा क्या है; और
(ङ.) क्या स्वीकृत बजट का केवल 15 प्रतिशत भाग ही फरवरी से अगस्त, 2025 के बीच संवितरित किया गया था और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इसके तीव्र संवितरण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री धर्मेंद्र प्रधान)

(क) से (ङ): विवरण सदन-पटल पर रख दिया गया है।

छात्रों हेतु सक्रिय शैक्षिक ऋण में गिरावट के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री कीर्ति आज़ाद द्वारा दिनांक 23.03.2026 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 439 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ग): शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, और इसके सुधार के लिए केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारें दोनों मिलकर काम करती हैं। भारत सरकार उन सभी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अलग-अलग शिक्षा ऋण योजनाएँ लागू कर रही है, जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शिक्षा ऋण लेना चाहते हैं। इन योजनाओं के तहत स्वीकृत किए जा सकने वाले शिक्षा ऋणों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है।

केंद्र सरकार ने नवंबर 2024 में ' पीएम विद्यालक्ष्मी' नामक केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसमें गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के वे छात्र भी शामिल हैं, जिन्हें गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता के आधार पर दाखिला मिला है। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता के आधार पर दाखिला पाने वाले छात्र, ट्यूशन शुल्क की पूरी राशि और पाठ्यक्रम से जुड़े दूसरे खर्चों को पूरा करने के लिए बैंकों से बिना किसी गारंटर के संपार्श्विक मुक्त ऋण लेने के पात्र हैं। इस तरह के स्वीकृत किए जा सकने वाले ऋणों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसके अलावा, अधिस्थगन अवधि के बाद 15 वर्षों तक ऋण का पुनर्भुगतान किया जा सकता है।

इसके अलावा, वित्तीय सेवा विभाग (डीएफ़एस) ने सूचित किया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को सलाह दी है कि वे भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार की गई 'मॉडल शिक्षा ऋण योजना' (एमईएलएस), 2022 (जिसमें अंतिम संशोधन दिनांक 23.6.2025 को किया गया था) का पालन करें। यह योजना समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- यह योजना आवश्यकता के आधार पर शिक्षा ऋण प्रदान करती है।
- 7.50 लाख रुपये तक के ऋण के लिए किसी भी तरह की संपार्श्विक या तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं होती, बशर्ते वे केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना (सीएसआईएस)/शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी निधि योजना (सीजीएफ़एसईएल) के लिए पात्र हों।
- 4 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन नहीं है।
- सभी मामलों में, पढ़ाई की अवधि से एक साल अधिक तक की अधिस्थगन अवधि की अनुमति दी जाती है।

- सभी ऋणों के लिए (अधिस्थगन की अवधि के बाद) पुनर्भुगतान की अवधि 15 साल तक उपलब्ध है।

इसके अलावा, आरबीआई ने 'संपार्श्विक मुक्त ऋण - शिक्षा ऋण योजना' के संबंध में अपने परिपत्र के माध्यम से यह सलाह दी है कि बैंकों को ₹4 लाख तक के शिक्षा ऋण के मामले में, अनिवार्य रूप से, कोई संपार्श्विक जमानत नहीं ही लेनी चाहिए।

अपेक्षाकृत गरीब परिवारों के छात्रों की सहायता के लिए, उच्चतर शिक्षा विभाग पीएम-यूएसपी केंद्रीय क्षेत्र की ब्याज सब्सिडी योजना (पीएम-यूएसपी सीएसआईएस) लागू कर रहा है। पीएम यूएसपी-सीएसआईएस योजना के तहत, बीपीएल छात्रों सहित सभी छात्रों को पूर्ण ब्याज सहायता प्रदान की जाती है, जो अनुमोदित राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) प्रत्यायित एचईआई/राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) प्रत्यायित पाठ्यक्रमों से तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रम जारी रख रहे हैं, और इस योजना का लाभ उन छात्रों को मिलता है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 4.5 लाख रूपए तक है, तथा यह लाभ 10 लाख रूपए तक के शिक्षा ऋण पर अधिस्थगन अवधि के दौरान दिया जाता है। इस योजना के तहत लाभ पाने वाले छात्रों की संख्या कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

इसके अतिरिक्त, सीजीएफएसईएल योजना के तहत, सभी आय वर्गों के छात्रों को 7.5 लाख रूपए तक के ऋणों के लिए सरकार द्वारा ऋण गारंटी प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत लाभार्थी छात्रों की संख्या की कोई ऊपरी सीमा नहीं है।

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना में भी, अधिस्थगन अवधि (पाठ्यक्रम अवधि + एक वर्ष) के दौरान 3% ब्याज छूट सहायता हर वर्ष उन एक लाख नए छात्रों को दी जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख रूपए तक है और जो शिक्षा ऋण पर किसी अन्य सरकारी छात्रवृत्ति या ब्याज छूट योजना के तहत लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। वर्ष 2024-25 से 2030-31 के दौरान, 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है और इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज छूट का लाभ मिलने की उम्मीद है।

डीएफ़एस ने यह भी सूचित किया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा दिए गए शिक्षा ऋणों के खातों की संख्या और बकाया राशि का विवरण, जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रिपोर्ट किया गया है, इस प्रकार है:

वर्ष	खातों की संख्या	बकाया राशि (रुपये करोड़ में)
2014	24,30,711	54,110
2015	26,82,972	63,202
2016	27,17,418	68,493
2017	26,00,713	72,468
2018	25,65,524	77,013
2019	23,84,641	78,544
2020	23,99,332	92,133
2021	21,35,263	90,002
2022	21,94,042	99,728
2023	23,66,737	1,26,388
2024	24,13,747	1,65,126
2025	24,37,801	2,02,792

यह देखा जा सकता है कि कोविड महामारी की समाप्ति के बाद, वर्ष 2021 से 2025 तक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर शिक्षा ऋण खातों की संख्या में वृद्धि हुई है।

25 फरवरी, 2025 से, एक नया छात्र-अनुकूल पोर्टल https://pmvidyalaxmi.co.in शुरू किया गया है, जहां छात्रों को शिक्षा ऋण के लिए आवेदन करने हेतु 2 पृष्ठ का एक सरल और पूरी तरह से डिजिटल आवेदन प्रारूप प्रदान किया गया है। छात्र अपनी पसंद के तीन बैंकों को आवेदन भेज सकते हैं। पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर अलग-अलग बैंक की बाहरी बेंचमार्क ऋण दर (ईबीएलआर) + 0.5% पर सीमित होगी। सभी मामलों में, बैंक ब्याज लेने के लिए भी स्वतंत्र हैं जो उनकी नीति के अनुसार इससे कम है। उच्चतर शिक्षा विभाग और वित्तीय सेवा विभाग नियमित आधार पर आईबीए और भाग लेने वाले बैंकों के साथ पीएम-विद्यालक्ष्मी की प्रगति की समीक्षा करते हैं। इस प्रकार, सरकार द्वारा किए गए उपायों से गरीब छात्रों सहित सभी छात्रों द्वारा शिक्षा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया और सरल हो गई है।

(घ) और (ङ): पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के तहत माह-वार स्वीकृत और वितरित ऋण का विवरण इस प्रकार है:

पीएमवीएल ऋण माह-वार आंकड़ें(6 नवंबर 2024 से 16 मार्च 2026)					
क्र.सं.	महीना	स्वीकृत ऋण		वितरित ऋण	
		खातों की संख्या	राशि (रुपये करोड़ में)	खातों की संख्या	राशि (रुपये करोड़ में)
1	नवम्बर 24 – फरवरी 25	11268	1099.57	11267	537.41
2	मार्च-25	3243	492.32	3098	223.22
3	अप्रैल-25	3224	481.15	3041	177.91
4	मई-25	6524	1213.69	6056	284.7
5	जून-25	9532	1626.26	8863	343.42
6	जुलाई-25	10975	1329.42	10248	269.64
7	अगस्त-25	8979	1055.7	8401	214.37
8	सितंबर-25	6887	785.96	6410	157.12
9	अक्टूबर-25	5622	622.48	5095	128.24
10	नवंबर-25	4391	481.46	3919	104.59
11	दिसंबर-25	4808	517.99	3940	100.02
12	जनवरी-26	3179	333.65	2206	60.26
13	फरवरी-26	1725	241.23	946	39.54
14	मार्च-26 (16 मार्च 2026 तक)	489	88.42	171	10.52
कुल		**69,865**	**9300.95**	**62,680**	**2131.38**

वर्ष 2025-26 में, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन के तहत, अंतिम अनुदान (एफ़जी) के अंतर्गत 1454.46 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और 18 मार्च, 2026 तक 1454.01 करोड़ रुपये की राशि प्रमाणित और दर्ज की जा चुकी है जो यह दर्शाता है कि लगभग संपूर्ण बजट का उपयोग वितरण के लिए पहले ही किया जा चुका है।
